



भीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 33/2019

दायर दिनांक 23.01.2019

वादी	प्रतिवादीगण
1. फजलूरहमान पुत्र अजीजखाँ, उम्र-60साल, जाति-शेरानी, निवासी-शेरानीआबाद, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. मजीदखाँ पुत्र अजीजखाँ, उम्र-62साल, 2. खलील अहमद पुत्र अजीजखाँ, उम्र-57साल, 3. रहमतवानो पत्नी जमील अहमद, उम्र-42साल, 4. तोसीफ रजा पुत्र जमील अहमद, उम्र-17साल, 5. आसिफखाँ पुत्र जमील अहमद, उम्र-15साल, 6. रोशन पुत्री जमील अहमद, उम्र-22साल, 7. सुल्ताना पुत्री जमील अहमद, उम्र-20साल, 8. अफसाना पुत्री जमील अहमद, उम्र-19साल, 9. फरजाना पुत्री जमील अहमद, उम्र-18साल, प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 नाबालिग जरिये संरक्षक माता रहमतवानो प्रतिवादी संख्या 03, 10. अलाउदीन पुत्र हासमखाँ, 11. नानूखाँ पुत्र प्यारूखाँ, 12. सुगरा पुत्री अजीजखाँ, 13. बाना पुत्री अजीजखाँ, 14. नूरमोहम्मद पुत्र भूरखाँ, 15. जहुर मोहम्मद पुत्र भूरखाँ, 16. दीन मोहम्मद पुत्र भूरखाँ, 17. जाकिर हुसैन पुत्र भूरखाँ, 18. मोमिना पुत्री भूरखाँ, 19. जैना पुत्री भूरखाँ, 20. जरीना पुत्री भूरखाँ, 21. गुलशन पुत्री भूरखाँ, समस्त, जाति-शेरानी, निवासी-शेरानीआबाद, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 22. यूको बैंक, बैंक शाखा-शेरानीआबाद, तहसील-डीडवाना,

बनाम्


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 33/2019
दायर दिनांक 23.01.2019, निर्णय दिनांक 06.02.2019
फजलूरहमान बनाम मजीद, वगैरा।

		जिला-नागौर, राजस्थान, 23. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 24. ग्रामपंचायत, लौरोली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
--	--	--

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित:-

1. श्री शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03 ता 05 व 11 की ओर से।

दिनांक 06.02.2019

--: निर्णय :-

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, सरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 256 रकबा 34.15 बीघा भूमि, खेत खसरा नम्बर 105 रकबा 13.14 बीघा भूमि, खेत खसरा नम्बर 129 रकबा 03.04 बीघा भूमि, खेत खसरा नम्बर 135 रकबा 02.09 बीघा भूमि, खेत खसरा नम्बर 35 रकबा 33.01 बीघा भूमि, खेत खसरा नम्बर 108 रकबा 19.02 बीघा भूमि, खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 22.08 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 19.05 बीघा भूमि स्थित है, जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 21 की पैतृक भूमि है।

खेत खसरा नम्बर 256 रकबा 34.15 में से गैरमुमकिन रास्ता निकलने की वजह से खसरा नम्बर 771/256 रकबा 0.18 बीघा व खसरा नम्बर 772/256 रकबा 06.00 बीघा व खसरा नम्बर 256 रकबा 27.17 बीघा है जिसमें वादी के खसरा नम्बर 772/256 रकबा 0.06 बीघा में से रकबा 0.02 बीघा ग्रामपंचायत को दान की गयी।

खसरा नम्बर 105, 129 व 135 वाकै सरहद डाबगाँव की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 ने संयुक्त रूप से खरीद की थी लेकिन रजिस्टर्ड बैचाण मात्र प्रतिवादी संख्या 02 के नाम से ही करवा दिया तथा खसरा नम्बर 371 रकबा 19.05 बीघा की संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 ने क्रय की थी लेकिन



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजरव-वाद, संख्या 33/2019
दाखर दिनांक 23.01.2019, निर्णय दिनांक 06.02.2019
फजलूरहमान बनाम मजीद, वगैरा।

रजिस्टर्ड बैचाण मात्र वादी व प्रतिवादी संख्या 03 के पति जीमल अहमद के नाम की गयी।

वादग्रस्त भूमि की खातेदारी संयुक्त रूप से अवश्य है मगर वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक बन्तवारा हो गया जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण काबिजकाशत हैं जो निम्नानुसार हैं:-

1. खसरा नम्बर 256 रकबा 27.17 बीघा की भूमि का बन्तवारा-
रकबा 10.05 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 मजीदखाँ के व रकबा 08.16 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद के व रकबा 08.16 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 के बन्त में है।
2. खसरा नम्बर 772/256 रकबा 06.00 बीघा की भूमि का बन्तवारा-
रकबा 01.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 मजीदखाँ के व रकबा 02.09 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद के व रकबा 02.09 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 के व रकबा 0.02 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 24 के बन्त में है।
3. खसरा नम्बर 35 रकबा 33.01 बीघा की भूमि का बन्तवारा-
सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 10 अलाउदीन के बन्त में है।
4. खसरा नम्बर 108 रकबा 19.02 बीघा की भूमि का बन्तवारा-
रकबा 07.00 बीघा भूमि वादी फजलूरहमान के व रकबा 0.10 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 मजीदखाँ के व रकबा 02.18 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के व रकबा 08.14 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 के नजरीनकशानुसार बन्त में है।
5. खसरा नम्बर 136 रकबा 22.08 बीघा की भूमि का बन्तवारा-
रकबा 0.17 बीघा भूमि वादी के व रकबा 17.03 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 मजीद के व रकबा 04.08 बीघा प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद के नजरीनकशानुसार बन्त में है।
6. खसरा नम्बर 105 रकबा 13.14 बीघा की भूमि का बन्तवारा-
रकबा 04.14 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के व रकबा 09.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 के नजरीनकशानुसार बन्त में है।
7. खसरा नम्बर 129 रकबा 03.04 बीघा व खसरा नम्बर 135 रकबा 02.09 बीघा भूमि का बन्तवारा-
सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद के बन्त में है।


सहायक कलेक्टर
बीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 33/2019
दायर दिनांक 23.01.2019, निर्णय दिनांक 06.02.2019
फजलूरहमान बनाम मजीद, वगैरा।

8. खसरा नम्बर 371 रकबा 19.05 बीघा भूमि का बन्टवारा-

सम्पूर्ण भूमि वादी फजलूरहमान के बन्ट में है।

प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 09 व 11 ता 21 को सामाजिक रीति-रिवाज मुताबिक हक उनका हक अदा कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 11 नानूखों को ग्राम किशनपुरा में इनको खेत में बन्ट दे दिया गया है इसलिए इनका नाम हटाया जावे।

खातेदार हलीमा पत्नी स्वर्गीय अजीजखों का खसरा नम्बर 35, 108 व 136 में नाम दर्ज है लेकिन हलीमा फौत होने की वजह से प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 21 को भी पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 21 की माता झुमली के वारिसान् हैं।

वादी अपने बन्ट व कब्जे की भूमि में कदीम से काश्त करते आये हैं। दिनांक 15.01.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को एलानियाँ धमकी बाबत् बेदखली की देने से वाद वादी पेश करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण द्वारा ऋण लेने से यूको बैंक शाखा शेरानीआबाद को प्रतिवादी संख्या 22 बतौर पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 23 तहसीलदार डीडवाना को बतौर पक्षकार बनाया गया है। वाद किसी सरकारी भूमि बाबत् नहीं होने से दो माह की अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं होने बिना नोटिस के ही वाद पेश है। प्रार्थना वादी है कि,

वादग्रस्त भूमि की खातेदारी निम्न मौखिक बन्ट जो नजरीनक्शा में दर्शित है, घोषित की जावे:-

1. खसरा नम्बर 256 रकबा 27.17 बीघा की भूमि में से रकबा 10.05 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 मजीदखों के व रकबा 08.16 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद के व रकबा 08.16 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 के घोषित की जावे।
2. खसरा नम्बर 772/256 रकबा 06.00 बीघा की भूमि में से रकबा 01.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 मजीदखों के व रकबा 02.09 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद के व रकबा 02.09 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 के व रकबा 0.02 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 24 के घोषित की जावे।
3. खसरा नम्बर 35 रकबा 33.01 बीघा की भूमि सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 10 अलाउदीन के घोषित की जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 33/2019
 दायर दिनांक 23.01.2019, निर्णय दिनांक 06.02.2019
 फजलूरहमान बनाम मजीद, वगैरा।

4. खसरा नम्बर 108 रकबा 19.02 बीघा की भूमि में से रकबा 07.00 बीघा भूमि वादी फजलूरहमान के व रकबा 0.10 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 मजीदखॉ के व रकबा 02.18 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के व रकबा 08.14 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 के नजरीनकशानुसार घोषित की जावे।
5. खसरा नम्बर 136 रकबा 22.08 बीघा की भूमि में से रकबा 0.17 बीघा भूमि वादी के व रकबा 17.03 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 मजीद के व रकबा 04.08 बीघा प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद के नजरीनकशानुसार घोषित की जावे।
6. खसरा नम्बर 105 रकबा 13.14 बीघा की भूमि में से रकबा 04.14 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के व रकबा 09.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 के नजरीनकशानुसार घोषित की जावे।
7. खसरा नम्बर 129 रकबा 03.04 बीघा व खसरा नम्बर 135 रकबा 02.09 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद के घोषित की जावे।
8. खसरा नम्बर 371 रकबा 19.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि वादी फजलूरहमान के घोषित की जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 09 व 11 ता 21 का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 24 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 10, 13, 14, 16, 22 ता 24 के बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 09, 10, 17 ता 21 ने इकबालिया जवाब पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 व 11 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री शरीफ शेरानी ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मोहम्मद रफीक ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।


 सहायक कलेक्टर
 बीडबाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 33/2019
दायर दिनांक 23.01.2019, निर्णय दिनांक 06.02.2019
फजलूरहमान बनाम् मजीद, वगैरा।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय राजीनामा पेश किया। राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किये जाने में पक्षकारान् सहमत हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।


वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वाद में राजीनामा पेश हुआ है जिसके मुताबिक पक्षकारान् खातेदारी चाहते हैं। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवेचन वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डाबगाँव की वादग्रस्त खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनकशा अनुसूची "अ", में दर्शित भूमि माफिक खातेदारी आदेश इस कदर पारित किये जाते हैं, कि-


1. खसरा नम्बर 256 रकबा 27.17 बीघा भूमि में से रकबा 10.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 मजीदखाँ को व रकबा 08.16 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद को व रकबा 08.16 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 772/256 रकबा 06.00 बीघा भूमि में से रकबा 01.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 मजीदखाँ को व रकबा 02.09 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद को व रकबा 02.09 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 को व रकबा 0.02 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 24 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 35 रकबा 33.01 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 अलाउदीन को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 108 रकबा 19.02 बीघा भूमि में से रकबा 07.00 बीघा भूमि का वादी फजलूरहमान को व रकबा 0.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 मजीदखाँ को व रकबा 02.18 बीघा भूमि का प्रतिवादी


सहायक कलेक्टर
अहमदाबा (वागौर)


राजस्व-वाद, संख्या 33/2019
दायर दिनांक 23.01.2019, निर्णय दिनांक 06.02.2019
फजलूरहमान बनाम् मजीद, वगैरा।

- संख्या 02 को व रकबा 08.14 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. खसरा नम्बर 136 रकबा 22.08 बीघा भूमि में से रकबा 0.17 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 17.03 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 मजीद को व रकबा 04.08 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 6. खसरा नम्बर 105 रकबा 13.14 बीघा भूमि में से रकबा 04.14 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 09.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 7. खसरा नम्बर 129 रकबा 03.04 बीघा तथा खसरा नम्बर 135 रकबा 02.09 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 8. खसरा नम्बर 371 रकबा 19.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी फजलूरहमान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 9. प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 09 व 11 ता 21 का नाम उपर्युक्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक-दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न करे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक R.A. ऑफिसर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक R.A. ऑफिसर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

डिक्री व मुकदमें इत्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्दा दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
बड़जलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 33/2019

दायर दिनांक 23.01.2019

वादी	प्रतिवादीगण
1. फजलूरहमान पुत्र अजीजखॉ, उम्र-60साल, जाति-शेरानी, निवासी-शेरानीआबाद, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. मजीदखॉ पुत्र अजीजखॉ, उम्र-62साल, 2. खलील अहमद पुत्र अजीजखॉ, उम्र-57साल, 3. रहमतबानो पत्नी जमील अहमद, उम्र-42साल, 4. तोसीफ रजा पुत्र जमील अहमद, उम्र-17साल, 5. आसिफखॉ पुत्र जमील अहमद, उम्र-15साल, 6. रोशन पुत्री जमील अहमद, उम्र-22साल, 7. सुल्ताना पुत्री जमील अहमद, उम्र-20साल, 8. अफसाना पुत्री जमील अहमद, उम्र-19साल, 9. फरजाना पुत्री जमील अहमद, उम्र-18साल, प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 नावालिग जरिये संरक्षक माता रहमतबानो प्रतिवादी संख्या 03, 10. अलाउदीन पुत्र हासमखॉ, 11. नानूखॉ पुत्र प्यारूखॉ, 12. सुगरा पुत्री अजीजखॉ, 13. बाना पुत्री अजीजखॉ, 14. नूरमोहम्मद पुत्र भूरखॉ, 15. जहुर मोहम्मद पुत्र भूरखॉ, 16. दीन मोहम्मद पुत्र भूरखॉ, 17. जाकिर हुसैन पुत्र भूरखॉ, 18. मोमिना पुत्री भूरखॉ, 19. जैना पुत्री भूरखॉ, 20. जरीना पुत्री भूरखॉ, 21. गुलशन पुत्री भूरखॉ, समस्त, जाति-शेरानी, निवासी-शेरानीआबाद, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 22. यूको बैंक, बैंक शाखा-शेरानीआबाद, तहसील-डीडवाना,

बनाम्

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)


		जिला-नागौर, राजस्थान, 23. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 24. ग्रामपंचायत, लौरोली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
--	--	--

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्तवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक 06.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03 ता 05 व 11 ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डाबगाँव की वादग्रस्त खसरान् की भूमियों का बन्तवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित भूमि माफिक खातेदारी आदेश इस कदर पारित किये जाते हैं, कि-

1. खसरा नम्बर 256 रकबा 27.17 बीघा भूमि में से रकबा 10.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 मजीदखाँ को व रकबा 08.16 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद को व रकबा 08.16 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 772/256 रकबा 06.00 बीघा भूमि में से रकबा 01.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 मजीदखाँ को व रकबा 02.09 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद को व रकबा 02.09 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 को व रकबा 0.02 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 24 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 35 रकबा 33.01 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 अलाउदीन को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 108 रकबा 19.02 बीघा भूमि में से रकबा 07.00 बीघा भूमि का वादी फजलूरहमान को व रकबा 0.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 मजीदखाँ को व रकबा 02.18 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 08.14 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. खसरा नम्बर 136 रकबा 22.08 बीघा भूमि में से रकबा 0.17 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 17.03 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 मजीद को व रकबा 04.08 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

6. खसरा नम्बर 105 रकबा 13.14 बीघा भूमि में से रकबा 04.14 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 09.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. खसरा नम्बर 129 रकबा 03.04 बीघा तथा खसरा नम्बर 135 रकबा 02.09 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 खलील अहमद को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
8. खसरा नम्बर 371 रकबा 19.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी फजलूरहमान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
9. प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 09 व 11 ता 21 का नाम उपर्युक्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक-दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न करे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-.....
 आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक:-33-2019/रीडर/2019/145

दिनांक 12/11/19

प्रेषित:-

तहसीलदार
डीडवाना।


विषय: -निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. फजलूरहमान पुत्र अजीजखॉ, उम्र-60साल, जाति-शेरानी, निवासी-शेरानीआबाद, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मजीदखॉ पुत्र अजीजखॉ, उम्र-62साल, जाति-शेरानी, निवासी-शेरानीआबाद, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।


सहायक कलक्टर
डीडवाना